

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021-22/1306

दिनांक - 24/02/2022

## छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन की तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है -


क्र.सं	योजना का नाम	पोर्टल पुनः खोलने की तिथि	पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि
1.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना - 2021-22 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सभी वर्ग)	24.2.2022	15.3.2022
2.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना - 2021-22 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (TAD)	24.2.2022	15.3.2022
3.	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	24.2.2022	15.3.2022
4.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	24.2.2022	15.3.2022
5.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना	24.2.2022	15.3.2022

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल्स आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

  
(हरिसिंह मीना)  
वित्तीय सलाहकार